न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 69/21 (वि.प्रा.पत्र)

GCMS No: 2021/491

1. श्री भेरा पिता केशा रावत निवासी राणीडूंगला तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
2. श्री देवा पिता केशा रावत निवासी राणीडूंगला तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर

...........प्रार्थी

बनाम्

1. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

.............विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक 27.06.2022

1. प्रार्थीद्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राणीडूंगला, पटवार हल्का धावड़िया, भू–अभिलेख निरीक्षक कुंथवास, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के खातेदारी परिशिष्ठ (क) खाता संख्या 109 आराजी नम्बर 283/11 कुल किता 1 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भेरा, देवा पिता केशा, रूपली पत्नी भेरा, राधकी पत्नी देवा मीणा दर्ज रेकर्ड है। परिशिष्ठ (ख) खाता संख्या 14 आराजी नम्बर 283/7 कुल किता रकबा 7 बीघा आराजीयात में नामान्तरण संख्या 395/27.09.2015 डिक्री द्वारा कालकी पिता भेरा, रूपली पत्नी भेरा के बजाय भेरा पिता केशा, दाडा, देवा 1/2, दर्ज रेकर्ड है। ताईद में नकल जमाबंदी पेश हैं।
2. यह कि उक्त कलम नम्बर 1 के परिशिष्ठ (क), (ख) में वर्णित भूमि में प्रार्थीगणों की जाति मीणा गलत दर्ज हैं जबकि प्रार्थीगणों की जाति मीणा नहीं होकर रावत हैं और प्रार्थीगण को रावत जाति से ही जाना पहचाना जाता है। ताईद में नकल जमाबन्दी पेश है।
3. यह कि प्रार्थीगण के कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजियात के अतिरिक्त मौजा राणीडूंगला पटवार क्षेत्र धावडिया [illegible] निरीक्षक कुंथवास तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में अन्य भी आराजियात [illegible] प्रार्थीगणों की वा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:44:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

Scanned by CamScanner

जाति मीणा अंकित है। जिनके आराजी नम्बर 51/3, 174/3, 177, 178, 203/3, 207/2, 270/2, कुल किता 7 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 281, 304, 305, कुल किता 1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 283/10 रकबा 10 बिस्वा स्थित हैं, जिनमें प्रार्थीगणों की जाति रावत अंकित है।

4. यह कि कलम नम्बर 3 के परिशिष्ठ (क), (ख) में वर्णित आराजीयात पूर्व में खेवट खतौनी की जमाबन्दी में उक्त भूमि में प्रार्थी की जाति रावत ही अंकित थी जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। परन्तु बाद में सेहवन से राजस्व कर्मियां द्वारा प्रार्थीगणों की जाति मीणा अंकित कर दी, जबकि प्रार्थीगण के मौरूस भी रावत जाति के ही थे और रावत जाति का ही उपयोग करते थे और रावत जाति से ही उनको जाना पहचाना जाता हैं और प्रार्थीगण भी रावत जाति के हैं।

5. यह कि प्रार्थीगण रावत जाति के हैं तथा वक्त सेटलमेंट से कलम नम्बर 1 में वर्णित भूमि प्रार्थीगणों के पूर्वाधिकारियों के नाम रावत जाति से ही अंकित हैं ऐसी स्थिति में कलम नम्बर 1 के परिशिष्ठ (क), (ख) में वर्णित भूमि में मीणा जाति के स्थान पर रावत जाति अंकित कराये जाने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।

6. यह कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण दिनांक 14/03/2019 को जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने के बाद जब पटवारी हल्का धावडिया से जाति संशोधन हेतु निवेदन किया गया तो विपक्षी ने सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही कराये जाने हेतु कहा जिससे माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।

7. पत्रावली दर्ज रजिटर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भीण्डर से रिपोर्ट मंगवाई गई। जो इस प्रकार है :–

   i. बिन्दु संख्या 1 रिकार्ड से सम्बन्धित हैं।

   ii. बिन्दु संख्या 2 प्रार्थी से सम्बन्धित हैं।

   iii. बिन्दु संख्या 3 रिकार्ड से सम्बन्धित हैं ओर प्रार्थी स्वयं साबित करे।

   iv. बिन्दु संख्या 4 प्रार्थी स्वयं साबित करें। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 190 जाति परिवर्तन प्रार्थी की जाति मीणा से रावत सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के कार्यालय द्वारा से जारी हुआ है, जिसकी प्रति संलग्न है।

   v. बिन्दु संख्या 5 प्रार्थी की जाति मीणा से रावत सहवन से नहीं होकर न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर के आदेश क्रमांक 184 दिनांक 13.05.2002 से जाति मीणा के बजाय रावत दर्ज करने की स्वीकृति हुई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:44:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थना पत्र के कलम नम्बर 1 के परिशिष्ठ (क) व (ख) में वर्णित भूमि में प्रार्थीगणों की जाति मीणा गलत दर्ज है जाति मीणा नहीं होकर रावत है जबकि प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की जाति मीणा से रावत सहायक भू-प्रबंध अधिकारी के न्यायालय आदेश से अंकित हुआ है। प्रार्थी की जाति मीणा से रावत सहवन से नहीं होकर न्यायालय सहायक भू-प्रबंध अधिकारी उदयपुर के आदेश क्रमांक 184 दिनांक 13.05.2002 से जाति मीणा के बजाय रावत दर्ज करने की स्वीकृति हुई थी।

9. विद्वान अभिभाषक की बहस व तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जॉच रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में निर्णय न्यायालय सहायक भू-प्रबंधन अधिकारी उदयपुर के आदेश क्रमांक 190 दिनांक 13.5.2002 से जाति मीणा के बजाय रावत दर्ज हुई। उक्त आदेश की प्रति भी प्रार्थी द्वारा पेश नहीं की गई। उक्त आदेश क्रमांक नामान्तरण की प्रति में दर्ज है। प्रार्थी ने अपने पक्ष में अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

10. उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सह खातेदारों की सहमति, एवं अन्य कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ना ही तहसीलदार की रिपोर्ट में यह प्रमाणित होता है कि जाति की त्रुटि कोई लिपिकीय भूल है। हमने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा।

11. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सिद्ध नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:44:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर,जिला-उदयपुर(राज.)

Scanned by CamScanner

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

27/6/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर, जिला-उदयपुर(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:44:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner